19

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

[कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय]

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

उन्नीसवाँ प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

[**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय**]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

27.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

27.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवाल

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

सी.ओ.ओबीसी सं.59

मूल्य: रूपये-------

@ 2023 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2021-22 और 2022-23)........		(iii)एवं(iv)
प्राक्कथन........		(vi)
भाग - एक		
व्याख्यात्मक विश्लेषण		
अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व	4
अध्याय तीन	ईपीएफओ में बैकलॉग रिक्तियां........	6
अध्याय चार	ईपीएफओ में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र........	7
अध्याय पाँच	ईपीएफओ में नौकरी/सेवाओं और संविदात्मक नियुक्तियों की आउटसोर्सिंग........	9
भाग - दो		
टिप्प्णियां/सिफारिशें		11
अनुबंध		
अनुबंध एक	ईपीएफओ में समूह 'ए' हेतु स्वीकृत पद का पद-वार ब्यौरा........	17
अनुबंध दो	ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संपर्क अधिकारियों के नियुक्ति का ब्यौरा........	20
अनुबंध तीन	ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संपर्क अधिकारियों के नियुक्ति का श्रेणी-वार ब्यौरा........	23
परिशिष्ट		
एक.	23.06.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	29
दो.	22.03.2023 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	32

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री बंदी संजय कुमार
4. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
5. श्री रमेश बिधूड़ी
6. सुश्री एस. जोतिमणि
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो
10. डॉ. संघमित्रा मौर्य
11. श्री अनुभव मोहंती
12. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
13. श्री बालक नाथ
14. श्री अजय निषाद
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री राम शिरोमणि वर्मा
17. के. सुधाकरन
18. श्री अशोक कुमार यादव
19. श्री प्रदान बरुआ
20. श्री चुन्नीलाल साहू

<u>राज्य सभा</u>

21. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
22. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
23. श्री नारायण कोरागप्पा
24. श्री जयप्रकाश निषाद
25. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
26. श्रीमती छाया वर्मा
27. श्री हरनाथ सिंह यादव
28. श्री सकलदीप राजभर
29. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
30. श्री जुगल सिंह लोखंडवाला

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री संजय कुमार बंदी
4. श्री चन्द्रशेखर बेल्लाना
5. श्री रमेश बिधूड़ी
6. श्री दिलेश्वर कामैत
7. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
8. डा. साक्षी जी स्वामी महाराज
9. सुश्री एस. जोतिमणि
10. श्री पी.सी. मोहन
11. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
12. श्री रोडमल नागर
13. श्री बालक नाथ
14. श्री अजय निषाद
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री चुन्नीलाल साहू
17. श्री चंद्र शेखर साहू
18. श्री कुंबाकुडी सुधाकरन
19. श्री अशोक कुमार यादव
20. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

21. श्री दिनेशचंद्र जे. अनावाडीया
22. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
23. श्री राजेन्द्र गहलोत
24. श्री नारायण कोरागप्पा
25. श्री जुगल सिंह लोखंडवाला
26. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
27. श्री सकलदीप राजभर
28. श्री राम नाथ ठाकुर
29. श्री हरनाथ सिंह यादव
30.* श्री शंभू शरण पटेल

*6 फ़रवरी, 2023 को समिति के सदस्य निर्वाचित।

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री प्रदोष पंडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री महेश्वर	-	निदेशक
3.	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव
4.	श्री विकास कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर यह उन्नीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने इस विषय की जांच के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रतिनिधियों का 23.06.2022 को साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती है।

3. समिति ने 22.03.2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति से सम्बद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा समिति को बहुमूल्य सहायता देने के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग - दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
<u>22 मार्च, 2023</u>
01 चैत्र, 1945(शक)

राजेश वर्मा,
सभापति,
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

भाग I

अध्याय I

प्रस्तावना

ग्राहकों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की 15 नवंबर, 1951 को घोषणा के पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि अस्तित्व में आया, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

1.2 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाई गई योजनाओं को एक त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (सीबीटी, ईपीएफ) के नाम से जाना जाता है, जिसमें सरकार (केंद्र और राज्य दोनों), नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

• अध्यक्ष	-	01
• उपाध्यक्ष	-	01
• केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सदस्य सचिव (पदेन)	-	01
• केंद्र सरकार के प्रतिनिधि	-	05
• राज्य सरकार के प्रतिनिधि	-	15
• नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	-	10
• कर्मचारियों के प्रतिनिधि	-	10
कुल :		**43**

1.3 बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन में पद पर आसीन अ.पि.व. श्रेणी के अधिकारियों की संख्या पूछे जाने पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया कि उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी अ.पि.व. श्रेणी का नहीं है।

संगठनात्मक ढांचा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत योजनाओं के अधिदेश अनुसार कार्य करता है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ईपीएफओ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

ईपीएफओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 21 मंडलों के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण करता है जिनके अधिकार क्षेत्र में एक या अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक मंडल में कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कार्यात्मक इकाइयां हैं और यह ईपीएफओ का जनता के साथ पहला संपर्क सूत्र है। वर्तमान में ईपीएफओ में 138 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय के तहत एक या अधिक जिला कार्यालय हो सकते हैं। कुल 114 जिला कार्यालय हैं।

अपने अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ईपीएफओ की अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीएनएएसएस) है जो नई दिल्ली में स्थित है। अकादमी के 04 मंडलीय प्रशिक्षण संस्थान (जेडटीआई) हैं, जो उत्तर क्षेत्र के लिए फरीदाबाद में; पश्चिम क्षेत्र के लिए उज्जैन में; पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में; और दक्षिण क्षेत्र के लिए चेन्नई में स्थित हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शिलांग में एक उप-जेडटीआई है। जेडटीआई संबंधित मंडल के क्षेत्रीय और मंडलीय कार्यालयों के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

चूंकि ईपीएफओ के पास एक बड़ा कार्यबल है, इसलिए समिति ने संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में जानना चाहा, इस पर मंत्रालय ने उत्तर दिया: -

“ईपीएफओ के विशाल संगठनात्मक ढांचे और लाइन एवं कर्मचारियों के कार्यों में विविधता को देखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन" (एचआरएम) ईपीएफओ का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है । ईपीएफओ के एचआर विंग का समग्र अधिदेश एक ऐसा कार्य माहौल निर्मित करना है, जो प्रशिक्षण, कैरियर विकास और कार्य-निष्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों के माध्यम से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं की लगातार पहचान, पल्लवित और उपयोग कर सके। संगठन में दि. 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार 14484 अधिकारियों और कर्मचारियों का एक समर्पित कार्य बल कार्यरत था। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत जनशक्ति संसाधनों के प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए इष्टतम उपयोग हेतु मानव संसाधनों के कार्य मुख्य रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं’।

अध्याय II

ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व

संगठन की कुल कर्मचारियों की संख्या और पदानुक्रम में पदों के विभिन्न स्तरों पर अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समूह-वार स्वीकृत पद, भरे गए पद और अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**समूह**	**कुल स्वीकृत पद**	**भरे गए पद**	**अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों द्वारा भरे गए पद**	**प्रतिशत**
1.	समूह क	1467	798	127	15.91%
2.	समूह ख	7693	4175	455	10.89%
3.	समूह ग	14913	9511	1891	19.88%
	कुल संख्या	**24073**	**14484**	**2473**	**17.07%**

2.2 उपर्युक्त आंकड़ों से, समिति ने पाया कि ईपीएफओ के कुल स्वीकृत पदों की संख्या और वास्तविक पदों की संख्या में भारी अंतर है। इसके अलावा, ईपीएफओ में पदों की कुल संख्या में अ.पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है क्योंकि

कुल 14484 कर्मचारियों में से केवल 2473 अ.पि.व. के कर्मचारी हैं जो कुल कर्मचारियों का 17.07% है। यह भी देखा गया कि समूह 'क', 'ख' और 'ग' में अ.पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 15.91%, 10.89% और 19.88% है, जो अ.पि.व. के लिए 27% के निर्धारित प्रतिशत से काफी कम है। समिति ने सेवा के प्रत्येक समूह में अ.पि.व. के कम प्रतिनिधित्व के कारणों को जानना चाहा, इस पर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"'सीधी भर्ती कोटा रिक्तियां जहां अ.पि.व. के लिए आरक्षण लागू है, केवल 08 कैडरों में हैं। शेष संवर्ग/पद या तो पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाते हैं, जहां कोई अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं होता है। भर्ती के तरीके के साथ समूह-वार और कैडर-वार स्वीकृत पदों और भरे गए पदों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न है"।

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने आगे साक्ष्य दिया कि कोविड-19 की मौजूदा स्थितियों के कारण विभिन्न कैडरों के लिए भर्ती नहीं की जा सकी। हालांकि, अब वर्तमान और बैकलॉग रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पिछली भर्ती 2016 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के पद के लिए की गई थी जो एक समूह क पद है। अब वे वर्ष 2022 तक 160 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में हैं और 160 रिक्तियों में से 38 पद अ.पि.व. के लिए आरक्षित होंगे। वे संघ लोक सेवा आयोग के साथ समन्वय में जल्द ही इसे अधिसूचित करेंगे"।

अध्याय III

बैकलॉग रिक्तियां

3.1 समिति ने बैकलॉग रिक्तियों और इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि बैकलॉग रिक्तियां मुख्य रूप से ग्रुप-सी पदों में उत्पन्न हुईं क्योंकि वर्ष 2020 और 2021 में मौजूदा कोविड -19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की जा सकी। इसके अलावा सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद के लिए रिक्तियों को 2019 में अधिसूचित किया गया था जिसमें कुल 240 रिक्तियों में से 64 रिक्तियां अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा सहायक (एसएसए) की रिक्तियों को 2019 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें कुल 2189 रिक्तियों में से 631 सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अकाउंट ऑफिसर/एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर पद हेतु 421 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के पद पर भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ समन्वय किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार कनिष्ट हिंदी अनुवादक के पद के लिए 86 रिक्तियां हैं और उनमें से 28 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं जो कुल रिक्तियों का 32.55% है। इसमें बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निकट भविष्य में आगामी भर्ती प्रक्रिया में बैकलॉग रिक्तियों सहित इन रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विशेष भर्ती अभियान

3.2 मंत्रालय से यह भी पूछा गया कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कोई विशिष्ट अभियान प्रस्तावित नहीं है। तथापि, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2022-23 में आयोजित होना निर्धारित है।

अध्याय IV

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र

4.1 समिति के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में लागू की जा रही आरक्षण नीति के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करने पर मंत्रालय ने सूचित किया कि सभी सीधी भर्ती वाले पदों पर डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार आरक्षण नीति लागू की जाती है।

रोस्टर रजिस्टर

समिति ने पूछा कि क्या ईपीएफओ में रोस्टर रजिस्टर रखे जा रहे हैं, मंत्रालय ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि रोस्टर रजिस्टर जोनल स्तर और प्रधान कार्यालय स्तर पर मानदंडों के अनुसार रखे जा रहे हैं और प्रत्येक पद/श्रेणी के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखे जा रहे हैं। इन रोस्टर रजिस्टरों का रखरखाव उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार केन्द्रीय/जोनल/क्षेत्रीय स्तरों पर किया जा रहा है।

4.2 समिति के प्रश्नों के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि रोस्टर रजिस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्षवार रिक्तियों को चिह्नित किया जा रहा है और यदि कोई कमी या बैकलॉग रिक्तियां रहती हैं तो उन्हें अगले भर्ती वर्ष में भरने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

संपर्क अधिकारी

4.3 समिति को सूचित किया गया कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों (एलओ) की नियुक्ति समय-समय पर की गई है ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों के आरक्षण और उन्हें मिलने वाले अन्य रियायतों से संबंधित विभिन्न आदेशों और निदेशों का नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारी द्वारा समय-समय पर रोस्टर रजिस्टरों का निरीक्षण/प्रमाणीकरण किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि रोस्टर रजिस्टरों के निरीक्षण के दौरान संपर्क अधिकारियों (एलओ) द्वारा कोई विसंगति उजागर नहीं की गई थीं। संपर्क अधिकारियों का ब्यौरा अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या सभी संपर्क अधिकारी अ.पि.व. श्रेणी से हैं, इस संबंध मे मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि अधिकांश संपर्क अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। ईपीएफओ के कुछ कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ग्रुप ए अधिकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए अन्य श्रेणियों से संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति केवल अन्य पिछड़े वर्गों से हो, के निदेश जारी किए गए हैं और जहां ग्रुप ए के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें ग्रुप बी श्रेणी के अधिकारियों से नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सभी संपर्क अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न हैं।

<u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

4.4 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया कि शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी शिकायत अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी संपर्क अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समिति ने पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों की संख्या के बारे में भी पूछा, इस संबंध में मंत्रालय ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, समिति की बैठक के दौरान समिति के कुछ सदस्यों द्वारा ईपीएफओ के दो अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त दो अभ्यावेदनों को मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए समिति के समक्ष रखा गया। मंत्रालय से उक्त अभ्यावेदनों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों के बारे में पूछा गया था लेकिन समिति मंत्रालय के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मंत्रालय ने समिति को दोनों मामलों पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया।

अध्याय V

नौकरी/सेवाओं और संविदात्मक नियुक्तियों की आउटसोर्सिंग

5.1 यह पूछे जाने पर कि क्या ईपीएफओ अपने कुछ गैर-प्रमुख कार्यों को आउटसोर्स कर रहा है और आउटसोर्स नौकरियों में अ.पि.व. के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाया है, मंत्रालय ने जवाब दिया कि ईपीएफओ में कोई आउटसोर्सिंग नहीं की जाती है।

इसके अलावा, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की पद-वार और मद-वार संख्या के संबंध में मंत्रालय ने ईपीएफओ में संविदा कर्मचारियों (एजेंसियों के माध्यम से हायर किए गए) का निम्नवत विवरण प्रदान किया है:

क्रम सं.	**संविदा कर्मचारी**	**कुल**
1.	हाउसकीपिंग	163
2.	सुरक्षा गार्ड	426
3.	डेटा एंट्री ऑपरेटर	455
4.	ऑफिस बॉयज़	65
5.	इलेक्ट्रिसियन	24
6.	एमटीए/एमटीएस	287
7.	माली	38
8.	सफाई कर्मचारी	128
9.	प्लम्बर	11
10.	लिफ्ट ऑपरेटर	02
11.	चालक	12
12.	रसोइया	07
	कुल	**1618**

5.2 समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय/पीएसयू/संगठन की कई सेवाएं संविदा एजेंसियों के माध्यम से संचालित और प्रदान की जाती हैं और क्या ऐसी एजेंसियों के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन और चिकित्सा और पीपीएफ सुविधाओं आदि सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ की कुछ सेवाओं जैसे हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, बागवानी, स्वीपिंग, प्लंबिंग, लिफ्ट ऑपरेशन, चालक, रसोइया आदि के संबंध में संविदा एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं। संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और ईएसआई/पीएफ लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। समिति ने यह भी पूछा कि क्या अ.पि.व. के श्रेणी के व्यक्तियों को ठेका श्रमिकों की नियुक्ति और ईपीएफओ में सेवा देने के लिए ठेका एजेंसिंयो की सेवाओं में भी वरीयता दी जाती है, मंत्रालय ने इससे इंकार किया।

5.3 समिति ने यह जानने कि इच्छा व्यक्त की कि क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों में परामर्शदाता या अन्यथा के रूप में पुन: नियुक्त किया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ईपीएफओ के दिनांक 30.03.2016 के मानव संसाधन विकास परिपत्र सं एचआरडी/5/20126/अनुवीक्षण समिति/42910 के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर पुन: नियुक्त किया जा रहा है।

भाग दो

टिप्पणियां और सिफारिशें

1. <u>शीर्ष प्रबंधन में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व</u>

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि ईपीएफओ भारत में संगठित क्षेत्र में संलग्न करोड़ों कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और बीमा योजना प्रदान करने में सहायता करता है। ईपीएफओ ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। समिति ने पाया कि इसके शीर्ष प्रबंधन निकाय की मौजूदा संरचना के अनुसार अध्यक्ष और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सह सदस्य सचिव के अलावा 41 पूर्णकालिक कार्यात्मक सदस्य हैं। तथापि, समिति को सूचित किया गया है कि आज की स्थिति के अनुसार प्रबंधन बोर्ड का कोई भी सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का नहीं है। इस प्रकार, संगठन के शीर्ष प्रबंधन में अ.पि.व. का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समिति समझती है कि निदेशक मंडल में नियुक्तियां सीधे सरकार द्वारा की जा रही हैं और इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, समिति की राय है कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के व्यक्ति ईपीएफओ का संचालन करने वाले केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें नियुक्तियों में वरीयता दी जानी चाहिए।

2. ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से पाया कि सभी स्तरों पर संगठन में अ.पि.व. के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी के पदों में क्रमशः 15.91%, 10.89% और 19.88% कर्मचारी हैं। मंत्रालय ने समिति को अवगत कराया कि सीधी भर्ती कोटा रिक्तियां जहां अ.पि.व. के लिए आरक्षण लागू है, केवल 08 संवर्गों के संबंध में हैं। शेष संवर्ग/पद या तो पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाते हैं जहां कोई अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं होता है। समिति ने ईपीएफओ में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। यहां तक कि प्रतिनिधित्व के प्रतिशत का उल्लेख संबंधित कॉलम में नहीं किया गया था। इससे यह समझा जाता है कि समिति प्रत्येक संवर्ग/पद में अन्य पिछड़े वर्गों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के बारे में सारणीबद्ध रूप में केवल वहीं जानना चाहेगी जहां सीधी भर्ती होती हो। इसलिए, मंत्रालय को सीधी भर्ती पदों, प्रतिनियुक्ति पदों और पदोन्नति पदों को वर्गीकृत करने वाले आंकड़ों की स्पष्ट प्रस्तुति करने की सलाह दी जाती है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसे अ.पि.व. के उम्मीदवार जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर समायोजित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे अभ्यर्थियों को संगठन चार्ट में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। इसलिए, संगठन चार्ट में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व को केवल उन अभ्यर्थियों की गिनती करनी चाहिए जो आरक्षण नीति के अनुसार शिथिल मानकों के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संगठन में भर्ती में आरक्षण नीति लागू हो रही है या नहीं। मंत्रालय को भी यह सलाह दी जाती है कि ऐसे सभी डेटा को संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इसके अलावा, यह भी सलाह

दी जाती है कि रोजगार में अ.पि.व. के लिए आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न पदों और संवर्ग में नियुक्ति के लिए लंबित सभी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए।

3. <u>रोस्टर रजिस्टर</u>

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि रोस्टर रजिस्टरों का रख-रखाव जोनल स्तर और मुख्यालय स्तर पर मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है और प्रत्येक पद/श्रेणी के लिए अलग-अलग रजिस्टरों का रख-रखाव किया जा रहा है। इन रोस्टर रजिस्टरों का रख-रखाव उनके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार केंद्रीय/जोनल/क्षेत्रीय स्तरों पर किया जा रहा है। समिति की सलाह है कि संपर्क अधिकारियों (एलओ) द्वारा विधिवत प्रमाणित रोस्टर रजिस्टरों को संगठन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना चाहिए ताकि इसे सभी कर्मचारियों के लिए अधिक पारदर्शी रूप में सुलभ बनाया जा सके।

4. <u>संपर्क अधिकारी</u>

ईपीएफओ ने अपिव के लिए अलग से संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त किए हैं ताकि अपिव के लिए रिक्तियों के आरक्षण और उनके लिए स्वीकार्य अन्य रियायतों से संबंधित विभिन्न आदेशों और अनुदेशों का नियुक्ति अधिकारियों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि रोस्टर रजिस्टरों के निरीक्षण के दौरान संपर्क अधिकारियों द्वारा किन्हीं विसंगतियों का विशेष उल्लेख नहीं किया गया। अधिकांश संपर्क अधिकारी अपिव श्रेणी के हैं। ईपीएफओ के कुछ कार्यालयों में अपिव श्रेणी का कोई समूह 'ए' अधिकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए अन्य श्रेणियों से संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त किए गए थे। तथापि, हाल ही में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केवल अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के अनुदेश

जारी किए गए हैं और जहां समूह 'क' अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां समूह 'ख' श्रेणी से संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में, अ.पि. व. के कर्मचारियों के लिए सभी संपर्क अधिकारी अ.पि.व. श्रेणी के हैं। सभी संपर्क अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसलिए, समिति ने सभी संपर्क अधिकारियों के नाम उनके संपर्क विवरण अर्थात मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने की सिफारिश की ताकि कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क कर सकें।

5. <u>शिकायत निवारण</u>

समिति को यह जानकारी दी गई थी कि सभी संपर्क अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ईपीएफओ में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य पिछडे वर्गों के कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, समिति के कुछ सदस्यों को प्राप्त हुए अन्य पिछडे वर्गों के कर्मचारियों के दो अभ्यावेदनों को समिति की बैठक के दौरान समिति के समक्ष मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए रखा गया था। एक अभ्यावेदन पदोन्नति से कथित तौर पर इनकार करने से संबंधित था और दूसरा एक ऐसे अधिकारी के खाते से छुट्टी और वेतन की कटौती से संबंधित था जो कुछ व्यक्तिगत कारणों से विदेशी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सका। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय डीओपीटी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में दोनों मामलों पर नए सिरे से विचार करे।

6. नौकरी/सेवाओं की आउटसोर्सिंग और संविदात्मक नियुक्तियां

समिति ने पाया कि संगठन हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनिंग, स्वीपिंग, प्लंबिंग, लिफ्ट ऑपरेशन, ड्राइवर्स, कुक आदि जैसी कुछ नॉन-कोर सेवाओं को आउटसोर्स कर रहा है और इस उद्देश्य के लिए अनुबंध एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और ईएसआई/पीएफ लाभ सहित अन्य सामाजिक सुरक्षोपाय भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समिति यह मानती है कि ईपीएफओ अनुबंधित कर्मचारियों के बीच अपिव को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अनुबंध एजेंसियों को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता है, तथापि, ईपीएफओ अनुबंध एजेंसियों को अपनी इच्छा से मानवीय आधार पर अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा, यदि ईपीएफओ द्वारा कोई अस्थायी नियुक्ति की जा रही है, तो डीओपीटी ओएम सं.36036/3/2018- स्थापना (आरईएस), दिनांक 15.05.2018, जिसमें यह उपबंध है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में होने वाली ऐसी नियुक्तियों, जो 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली हों, के संबंध में अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा, के आलोक में अपिव श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कर्मचारी कल्याण संघ

समिति का मत है कि संगठन के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती, कल्याण और शिकायतों से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए एक प्रभावी मंच हो सकता है। अतएव, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि ईपीएफओ का प्रबंधन ईपीएफओ के अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी कल्याण संघ के साथ समन्वयपूर्वक कार्य करे।

नई दिल्ली ;
22 March, 2023
01 चैत्र, 1945(शक)

राजेश वर्मा,
सभापति,
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

Annexure - I

Post-wise Sanctioned / In Position Strength of Group – 'A' Officers/Staff in EPFO as on 31.03.2022

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy
1	C.P.F.C	----	----	1	1	0
2	FA & CAO	Deputation	10000	1	1	0
3	CVO	Deputation	10000	1	1	0
4	Addl. CPFC (HQ)	Promotion, Deputation	10000	11	9	2
5	Addl. CPFC	Promotion	8900	32	24	8
6	Director (Vigilance)	Deputation	8700	1	0	1
7	Chief Engineer	Deputation	8700	1	0	1
8	Director (IS)	Deputation	8700	9	0	9
9	Director (Audit)*	Deputation	8700	1	0	1
10	Joint Dir.(IS)	Deputation	7600	30	0	30
11	RPFC-I	Promotion	7600	239	159	80
12	Director (OL)	Promotion	7600	1	0	1
13	Deputy Director (Audit)	Deputation	6600	17	2	15
14	Executive Engineer (Civil)	Deputation	6600	2	0	2
15	Executive Engineer (Electrical)	Deputation	6600	2	0	2
16	Deputy Director (Vigilance)	Deputation	6600	12	3	9
17	R.P.F.C -II	Promotion	6600	299	270	29
18	Law Officer	Deputation	6600	1	0	1
19	Principal Private Secretary	Promotion	6600	16	4	12
20	Deputy Director (OL)	80 % Promotion, 20% Deputation	6600	10	3	7
21	Deputy Director (IS)	Deputation	6600	60	14	46
22	APFC	**50% Direct Recruitment, 50% Promotion**	5400	452	265	187
23	Assistant Director (IS)	Deputation	5400	120	18	102
24	Assistant Director (VIG)	Deputation	5400	40	17	23
25	**Assistant Director (OL)**	**20 % Promotion, 80% Direct Recruitment**	5400	57	1	56
26	Assistant Director (Audit)	Deputation	5400	31	6	25
27	Assistant Engineer (Civil)	Deputation	5400	17	0	17
28	Assistant Engineer (Elect.)	Deputation	5400	3	0	3
	Total			1467	798	669

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy	Remarks
1	APFC	**50% Direct Recruitment, 50% Promotion**	5400	452	265	187	**Recruitment process has been initiated for filling up of 159 vacancies including 38 vacancies for OBCs (23.9%) through UPSC.**
2	**Assistant Director (OL)**	**20 % Promotion, 80% Direct Recruitment**	5400	57	1	56	
	Total			509	266	243	

Difference between Total Vacancies and Direct Recruitment Vacancies= 426

Post-wise Sanctioned / In Position Strength of Group – 'C' Officers/Staff in EPFO as on 31.03.2022

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy
1	Staff Car Direct Recruitmentiver (Grade-I)	Dying Cadre	2800	39	15	24
2	Stenographer	Direct Recruitment	2400	187	2	185
3	Social Security Assistant (SSA)	85% Direct Recruitment, 15% Departmental Promotion	2400	12503	7861	4642
4	Senior Secretriat Assistant (erst. UDC (hq))	75% Departmental Promotion, 25% Examination Quota	2400	16	3	13
5	Data Entry Operator	Dying Cadre	2400	0	99	0
6	Staff Car Direct Recruitmentiver (Grade-II)	Dying Cadre	2400	33	14	19
7	Lower Division Clerk	Dying Cadre	1900	593	395	198
8	Electrician	Dying Cadre	1900	28	11	17
9	Gestetnor Operator (Sr.)	Dying Cadre	1900	3	0	3
10	Pump Operator	Dying Cadre	1900	14	2	12
11	Plumber	Dying Cadre	1900	20	6	14
12	Lift Operator	Dying Cadre	1900	18	6	12
13	Telex Operator	Dying Cadre	1900	2	0	2
14	Canteen Employees	Dying Cadre	1900	167	49	118
15	Staff Car Direct Recruitmentiver (Ordinary Grade)	Dying Cadre	1900	34	25	9
16	Multi Tasking Staff	Compassionate Appointment	1800	1256	1022	234
18	Helper to electrician	Dying Cadre		0	1	0
Total				14913	9511	5502

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy	Remarks
1	Stenographer	Direct Recruitment	2400	187	2	185	Recruitment process for 185 vacancies initiated.
2	Social Security Assistant (SSA)	85% Direct Recruitment, 15% Departmental Promotion	2400	12503	7861	4642	Process initiated to fill up 2600 DR vacancies.
Total				12690	7863	4827	

Difference between Total Vacancies and Direct Recruitment Vacancies= 662

Post-wise Sanctioned / In Position Strength of Group – 'B' Officers/Staff in EPFO as on 31.03.2022

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy
1	Section Officer	Promotion (50% Seniority Quota, 50% Examination Quota)	4800	196	85	111
2	Programmer	Deputation/Departmental Promotion/Direct Recruitment	4800	210	5	205
3	Private Secretary	Promotion	4800	205	122	83
4	Assistant Section Officer	75% Direct Recruitment, 15% Departmental Promotion, 10% Examination Quota	4600	400	195	205
5	Assistant Audit Officer	Deputation	4600	38	9	29
6	Personal Assistant	75% Direct Recruitment, 25% Departmental Promotion	4600	434	16	418
7	Enforcement Officer/Accounts Officer	40% Direct Recruitment, 60% Departmental Promotion	4800	3072	1654	1418
8	Data Processing Assistant	Dying Cadre	4600	0	236	0
9	Senior Translation Officer	Promotion	4600	80	81	0
10	Auditor	Deputation	4200	62	23	39
11	Junior Engineer (Civil)	Deputation	4200	40	13	27
12	Junior Engineer (Electrical)	Deputation	4200	2	0	2
13	Vigilance Assistant	Deputation	4200	40	0	40
14	Library Information Assistant	Deputation	4200	1	0	1
15	Section Supervisor	Promotion (66.66% Seniority Quota, 33.33% Examination Quota)	4200	2698	1706	992
16	Junior Translation Officer	Direct Recruitment	4200	120	25	95
17	Junior Analyst	Deputation	4200	2	0	2
18	Research Assistant /ARO	Deputation	4200	4	0	4
19	Welfare officer	Deputation	4200	1	0	1
20	Legal Assistant	Deputation	4200	43	1	42
21	Statistical Assistant	Deputation	4200	38	1	37
22	Staff Car Direct Recruitmentiver (Special Grade)	Dying Cadre	4200	6	2	4
23	Press-Coordinator	Dying Cadre		0	1	0
	Total			7692	4175	3755

Sl. No.	Name of the post	Recruitment Mode (Direct Recruitment/Departmental Promotion/Deputation)	Grade Pay in 6th CPC	Total Sanction	In-Position	Vacancy	Remarks
1	Assistant Section Officer	75% Direct Recruitment, 15% Departmental Promotion, 10% Examination Quota	4600	400	195	205	
2	Personal Assistant	75% Direct Recruitment, 25% Departmental Promotion	4600	434	16	418	Recruitment for filling up of 163 DR vacancies is in process.
3	Enforcement Officer/Accounts Officer	40% Direct Recruitment, 60% Departmental Promotion	4800	3072	1654	1418	Recruitment through UPSC for 421 DR vacancies including 116 vacancies reserved for OBC (27.55%) is in process.
	Total			3906	1865	2041	

Difference between Total Vacancies and Direct Recruitment Vacancies= 1714

~~Appendix-B~~ Annexure-II

[Refer reply to Q. No.11(b)]

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs			
Sr.no.	Region/State/Zones	Year	Details of Liaison Officers
1	Himachal Pradesh	2016	Ms. Uma Mandal, RPFC-I
		2017	Sh. Jyotinder Azad, APFC
		2018	Sh. Jyotinder Azad, APFC
		2019	Sh. Prakash Chand Chauhan, APFC
		2020	Sh. Prakash Chand Chauhan, APFC
		2021	Sh. Saurabh Kumar, APFC (onwards 04.10.2021)
2	RO, Ahmedabad	2015	Sh. S P Sindhava, APFC
		2016	Sh. S P Sindhava, APFC
		2017	Ms. ArchanaJanu, APFC
		2018	Sh. RiteshSaini, RPFC-II
		2019	Sh. RiteshSaini, RPFC-II
		2020	Sh. RiteshSaini, RPFC-II
		2021	Sh. RiteshSaini, RPFC-II
3	Mumbai- I (Bandra)	2021	Sh. Sumer P. Ratnoo, RPFC-II
4	RO, Vatwa	2019	Sh. Subodh, APFC
		2020	Sh. Subodh, APFC
		2021	Sh. RiteshSaini, RPFC-II
		2018	Sh. Mohit Kumar, APFC
		2019	Sh. Neeraj Kumar Prasad, APFC
		2020	Sh. Neeraj Kumar Prasad, APFC
		2021	Sh. J N Ansari, EO/AO
5	RO, Vadodara	2015	Sh. G N Chawala, APFC
		2016	Sh. G N Chawala, APFC
		2017	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC
		2018	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC
		2019	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC
		2020	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC
		2021	Sh. Manoj Kumar Yadav, RPFC-I
6	RO, Surat	2015	Sh. KrishanaShanker, RPFC-II
		2016	Sh. KrishanaShanker, RPFC-II
		2017	Sh. Manish Kumar Haldony, APFC
		2018	Sh. Anand Manish, RPFC-II
		2019	Sh. Anand Manish, RPFC-II
		2020	Sh. Anand Manish, RPFC-II
		2021	Sh. Anand Manish, RPFC-II
7	RO, Vapi	2019	Sh. Navin Kumar, AO
		2020	Sh. Navin Kumar, AO
		2021	Sh. Deepak Sharma, EO/AO
8	RO, Bharuch	2017	Sh. Praveen Kumar, APFC

		2018	Sh. Sumer P Ratnoo, APFC
		2019	Sh. Sumer P Ratnoo, APFC
		2020	Sh. Praveen Kumar, APFC
		2021	Sh. Nikhil Nagar, APFC
9	**Punjab**	2016-17	Sh. Satish Kumar, APFC
		2017-21	Sh. Keshar Singh, APFC
		08.2021 to till today	Sh. KushagraSagar RPFC-II
10	**Pune (Pune Cantt)**	2021	Sh. Karbhari K Kumbhar, APFC
	Pune (Akurdi)		Sh. Sachin M Borate, RC-II
	Pune (Kolhapur)		Sh. S SBurnwal, APFC & Sh. V P Shere, AO.EO
	Pune (Solapur)		Sh. Lalitesh Singh Nayak, RPFC-II
	Pune (Nagpur)		Sh. Sameer Kumar Gupta, AO/EO
	Pune (Nasik)		Sh. PankajVerma, RPFC-II
	Pune (Akola)		Sh. Kumar P Katyarmal, AO/EO
	Pune (Aurangabad)		Sh. Ashok C Pagare, RPFC-II
11	**Delhi**	2017	Ms.Isha, APFC
		2018	Sh. Manish Kumar Thakur, APFC
		2019	Sh. Manish Kumar Thakur, RPFC-II
		2020	Sh. Manish Kumar Thakur, RPFC-II
		2021	Sh. Pushpendra, APFC
12	**Thane (Thane North)**	2021	Sh. AlokVerma, EO
	Thane (Thane South)	2021	Sh. BhaskarBhoir, SSSA
	Thane (Vashi)	2021	Sh. Vashishta Narayan, APFC
			Sh Rajeev Kumar, EO/ AO
	Thane (Kandivali west)	2021	Sh K KKumbhar, APFC
			Sh. ApurvGautam, APFC
13	**Rajasthan**	2016	S. P. Sindhava, APFC (Retired)
		2020	Sh. Sanjay Gurjar, RPFC-II
14	**Madhya Pradesh**	2019, 2020, 2021 (till Aug, 2021)	Sh. Mukesh Singh Rawat, RPFC-II
		Presently (From Aug,2021)	Sh. Vinay Kumar, APFC
15	**Telangana**	2021	Sh. Manish Kumar Haldony, RPFC-II
16	**Chennai &Puducherry**	2021	Shri. Rajeev Kumar, RPFC-II
			Shri. K.V. SudharsanRao, APFC
			Smt. L. Mangaiyarkarsi, APFC
			Shri. R. Ganesh, APFC
			Shri. R. Saravana Kumar, APFC
			Shri. M.G. Raja, EO
			Shri. P. Karthickeyan, EO
			Shri. P. Manoj Prabhu, APFC
			Shri. G. Sundaresan, APFC
			Shri. S. Sathish, AO

			Shri. G. Krishnakumar, AO
17	Bihar	2018	Sh. Sunil Kumar, APFC
18	Jharkhand	2015	Sh. O P Singh, APFC
		2019	Sh. O P Singh, APFC
		2021	Sh. SudhirRanjan, APFC
19	Odisha	2021	Sh. P. N. Singh, APFC
			Sh. Anand Ch. Sahoo, RPFC-II
			Sh. Mayank Raj, APFC
20	Agra	2021	Sh. Ravindra Kumar, APFC
	Allahabad		Sh. MotiLalVerma, APFC
	Bareilly		Sh. Ashish Kumar, APFC
	Gorakhpur		Sh. S.S. Maurya, AO
	Lucknow		Sh. Manoj Kumar Gupta, APFC
	Meerut		Sh. ShashankJaiswal, APFC
	Noida		Sh. Naresh Kumar Yadav, APFC
	Varanasi		Sh. Prateesh Singh, APFC
21	Kerala & Lakshadweep	2017	Sh. Rakesh S Sekhar, APFC
		2018	Sh. Rakesh S Sekhar, APFC
		2019	Ms.RenuRamchandran, RPFC-I
		2020	Ms.RenuRamchandran, RPFC-I
		2021	Sh. G Shaji, APFC
23	Vijayawada	30.07.2018 to 12.07.2021	Sh. Vijay Kumar Prasad, RPFC-I
		07.09.2021	Sh. Subrata Kumar, RPFC-I
24	North East Region	2021	Sh. K. Hungyo, APFC
25	Karnataka	2021	Sh. Prashant K, RPFC-I
26	Goa	2021	Sh. Sachin Borate, APFC
27	West Bengal	08-12-2015 to 28-05-2019	Sh. HariomJaiswal, APFC
		29-05-2019 to 13-09-2021	Sh. Shakil Ahmad, APFC
		14-09-2021 to till date	Sh. SoumyaShantaSaha, APFC

◇◇◇◇◇

Annexure-III

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs					
S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Himachal Pradesh**	2016	Ms. Uma Mandal, RPFC-I	SC	
		2017	Sh. Jyotinder Azad, APFC	SC	
		2018	Sh. Jyotinder Azad, APFC	SC	
		2019	Sh. Prakash Chand Chauhan, APFC	ST	
		2020	Sh. Prakash Chand Chauhan, APFC	ST	
		2021	**Sh. Saurabh Kumar, APFC**	**UR**	**Sh. Anil Kumar, SS**
2	**RO, Ahmedabad**	2015	Sh. S P Sindhava, APFC	GEN	
		2016	Sh. S P Sindhava, APFC	GEN	
		2017	Ms. Archana Janu, APFC	OBC	
		2018	Sh. Ritesh Saini, RPFC-II	OBC	
		2019	Sh. Ritesh Saini, RPFC-II	OBC	
		2020	Sh. Ritesh Saini, RPFC-II	OBC	
		2021	Sh. Ritesh Saini, RPFC-II	OBC	
3	**Mumbai- I (Bandra)**	2021	Sh. Sumer P. Ratnoo, RPFC-II	OBC	
4	**RO, Vatwa**	2019	Sh. Subodh, APFC	OBC	
		2020	Sh. Subodh, APFC	OBC	
		2021	Sh. RiteshSaini, RPFC-II	OBC	
		2018	Sh. Mohit Kumar, APFC	OBC	
		2019	Sh. Neeraj Kumar Prasad, APFC	OBC	
		2020	Sh. Neeraj Kumar Prasad, APFC	OBC	
		2021	Sh. J N Ansari, EO/AO	OBC	
5	**RO, Vadodara**	2015	Sh. G N Chawala, APFC	SC	
		2016	Sh. G N Chawala,	SC	

19/31

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs

S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			APFC		
		2017	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC	OBC	
		2018	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC	OBC	
		2019	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC	OBC	
		2020	Sh. Anil Kumar Sharma, APFC	OBC	
		2021	Sh. Manoj Kumar Yadav, RPFC-I	OBC	
6	RO, Surat	2015	Sh. Krishana Shanker, RPFC-II	OBC	
		2016	Sh. Krishana Shanker, RPFC-II	OBC	
		2017	Sh. Manish Kumar Haldony, APFC	SC	
		2018	Sh. Anand Manish, RPFC-II	OBC	
		2019	Sh. Anand Manish, RPFC-II	OBC	
		2020	Sh. Anand Manish, RPFC-II	OBC	
		2021	Sh. Anand Manish, RPFC-II	OBC	
7	RO, Vapi	2019	Sh. Navin Kumar, AO	OBC	
		2020	Sh. Navin Kumar, AO	OBC	
		2021	Sh. Deepak Sharma, EO/AO	OBC	
8	RO, Bharuch	2017	Sh. Praveen Kumar, APFC	OBC	
		2018	Sh. Sumer P Ratnoo, APFC	OBC	
		2019	Sh. Sumer P Ratnoo, APFC	OBC	
		2020	Sh. Praveen Kumar, APFC	OBC	
		2021	Sh. Nikhil Nagar, APFC	OBC	
9	Punjab	2016-17	Sh. Satish Kumar, APFC	SC	
		2017-21	Sh. Keshar Singh, APFC	ST	

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs

S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		08.2021 to 15.07.2022	Sh. Kushagra Sagar, RPFC-II	SC	Sh. Gaurav Pal, EO/AO
10	Pune (Pune Cantt)	2021	Sh. Karbhari K Kumbhar, APFC	OBC	
	Pune (Akurdi)		Sh. Sachin M Borate, RC-II	OBC	
	Pune (Kolhapur)		Sh. S S Burnwal, APFC & Sh. V P Shere, AO/EO	OBC	
	Pune (Solapur)		Sh. Lalitesh Singh Nayak, RPFC-II	OBC	
	Pune (Nagpur)		Sh. Sameer Kumar Gupta, AO/EO	OBC	
	Pune (Nasik)		Sh. PankajVerma, RPFC-II	OBC	
	Pune (Akola)		Sh. Kumar P Katyarmal, AO/EO	OBC	
	Pune (Aurangabad)		Sh. Ashok C Pagare, RPFC-II	OBC	
11	Delhi	2017	Ms.Isha, APFC	OBC	
		2018	Sh. Manish Kumar Thakur, APFC	OBC	
		2019	Sh. Manish Kumar Thakur, RPFC-II	OBC	
		2020	Sh. Manish Kumar Thakur, RPFC-II	OBC	
		2021	Sh. Pushpendra, APFC	OBC	
12	Thane (North)	2021	Sh. Alok Verma, EO	OBC	
	Thane (South)	2021	Sh. Bhaskar Bhoir, SSSA	OBC	
	Thane (Vashi)	2021	Sh. Vashishta Narayan, APFC	OBC	
			Sh Rajeev Kumar, EO/ AO	OBC	
	Thane (Kandivali west)	2021	Sh K K Kumbhar, APFC	OBC	
			Sh. Apurv Gautam, APFC	OBC	
13	Rajasthan	2016	S. P. Sindhava, APFC (Retired)	OBC	

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs					
S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2020	Sh. Sanjay Gurjar, RPFC-II	OBC	
14	Madhya Pradesh	2019, 2020, 2021 (till Aug, 2021)	Sh. Mukesh Singh Rawat, RPFC-II	OBC	
		Presently (From Aug,2021)	Sh. Vinay Kumar, APFC	OBC	
15	Telangana	2021	**Sh. Manish Kumar Haldony, RPFC-II**	**SC**	**Sh. G. Rammohan, APFC**
16	RO, Cheenai	2021	Shri. Rajeev Kumar, RPFC-II	OBC	
	RO, Ambattur		**Shri. K.V. SudharsanRao, APFC**	**SC**	**Sh. Ahmed Sahib,EO**
	RO, Tambaram		**Smt. L. Mangaiyarkarsi, APFC**	**SC**	**Sh. Himanshu Kumar,RPFC-I**
	RO, Vellore		**Shri. R. Ganesh, APFC**	**UR**	**Sh.V.Sathish Kumar, RPFC-II**
	RO, Pudhuchery		Shri. R. Saravana Kumar, APFC	OBC	
	RO, Coimbatore		Shri. M.G. Raja. EO	OBC	
	RO, Salem		Shri. P. Karthickeyan, EO	OBC	
	RO, Trichy		Shri. P. Manoj Prabhu, APFC	OBC	
	RO, Madurai		Shri. G. Sundaresan, APFC	OBC	
	RO, Tirunelveli		Shri. S. Sathish, AO	OBC	
	RO, Nagercoil		**Shri. G. Krishna kumar, AO**	**ST**	**Smt. R.Rukmani, Private Secretary**
17	Bihar	2018	Sh. Sunil Kumar, APFC	OBC	
18	Jharkhand	2015	Sh. O P Singh, APFC	OBC	
		2019	Sh. O P Singh, APFC	OBC	
		2021	Sh. Sudhir Ranjan, APFC	OBC	

13/51

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs					
S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Odisha	2021	Sh. P. N. Singh, APFC	OBC	
			Sh. Anand Ch. Sahoo, RPFC-II	OBC	
			Sh. Mayank Raj, APFC	OBC	
20	Agra	2021	**Sh. Ravindra Kumar, APFC**	SC	Sh. Manoranjan Kumar Singh, EO
	Allahabad		Sh. Moti Lal Verma, APFC	OBC	
	Bareilly		Sh. Ashish Kumar, APFC	OBC	
	Gorakhpur		Sh. S.S. Maurya, AO	OBC	
	Lucknow		Sh. Manoj Kumar Gupta, APFC	OBC	
	Meerut		Sh. Shashank Jaiswal, APFC	OBC	
	Noida		Sh. Naresh Kumar Yadav, APFC	OBC	
	Varanasi		Sh. Prateesh Singh, APFC	OBC	
21	Kerala & Lakshadweep	2017	Sh. Rakesh S Sekhar, APFC	OBC	
		2018	Sh. Rakesh S Sekhar, APFC	OBC	
		2019	Ms.Renu Ramchandran, RPFC-I	OBC	
		2020	Ms.Renu Ramchandran, RPFC-I	OBC	
		2021	Sh. G Shaji, APFC	OBC	
23	Vijayawada	30.07.2018 to 12.07.2021	Sh. Vijay Kumar Prasad, RPFC-I	OBC	
		07.09.2021	**Sh. Subrata Kumar, RPFC-I**	UR	Sh. Vijay Kumar Prasad, RPFC-I
24	North East Region	2021	**Sh. K. Hungyo, APFC**	ST	Sh. K. Rupeshor Singh, RPFC-I
25	Karnataka	2021	Sh. Prashant K, RPFC-I	OBC	
26	Goa	2021	Sh. Sachin Borate, APFC	OBC	

19/21

The details of the appointment of Liaison Officers for OBCs					
S. No.	Region/State/ Zones	Year	Details of Liaison Officers	Category	Newly Appointed Liaison Officer from OBC Category
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	West Bengal	08-12-2015 to 28-05-2019	Sh. Hariom Jaiswal, APFC	OBC	
		29-05-2019 to 13-09-2021	Sh. Shakil Ahmad, APFC	OBC	
		14-09-2021 to 05.07.2022	Sh. Soumya Shanta Saha, APFC	SC	Sh. Ashok Kumar Muduli, APFC

गोपनीय

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की गुरुवार, 23 जून, 2022 को समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित 13वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1210 बजे से 1250 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेश वर्मा - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री बंदी संजय कुमार
3. श्री रमेश बिधूड़ी
4. डॉ. संघमित्रा मौर्य
5. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
6. श्री बालक नाथ
7. श्री अजय निषाद
8. श्री रामशिरोमणि वर्मा
9. श्री चुन्नीलाल साहू

राज्य सभा

10. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
11 श्री नारायण कोरागप्पा
12. श्री जयप्रकाश निषाद
13. श्री विशशम्भर प्रसाद निषाद
14. श्रीमती छाया वर्मा
15. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया

सचिवालय

1. श्री पुलिन बी. भूटिया — संयुक्त सचिव
2. श्री महेश्वर — निदेशक
3. श्रीमती नीना जुनेजा — उप सचिव
4. श्री विकास कुमार — कार्यकारी अधिकारी

प्रतिनिधियों की सूची

श्रम और रोजगार मंत्रालय

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सुनील बर्थ्वाल	सचिव (श्रम और रोजगार)
2.	डॉ. शशांक गोयल	अपर सचिव (श्रम और रोजगार)
3.	सुश्री विभा भल्ला	संयुक्त सचिव
4.	श्री रुपेश कुमार ठाकुर	निदेशक
5.	डॉ. महेन्द्र कुमार	निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती वीना टम्टा भाटिया	अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
2.	सुश्री उमा मंडल	अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2. सर्वप्रथम सभापति ने "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण संबंधी उपाय" विषय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और सभापति ने साक्षियों का स्वागत किया। सभापति ने यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय ईपीएफओ में रोजगार में अ.पि.व. के लिए आरक्षण की स्थिति और उनके कल्याण के विषय में समिति को अवगत कराए। सभापति ने ईपीएफओ में सभी पदों हेतु अ.पि.व. के लिए आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ईपीएफओ के प्रतिनिधि ने इस विषय पर समिति के समक्ष एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी।

3. तत्पश्चात् समिति के सभापति और सदस्यों ने ईपीएफओ में अ.पि.व. की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अ.पि.व. कर्मचारियों के कल्याण संबंधी उपायों के विषय में विभिन्न मुद्दों को उठाया। तदनुसार, प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर उत्तर दिए:

(i) निजी संगठनों को मान्यता देने के लिए मानदंड;
(ii) ईपीएफओ में जिला कार्यालयों की कुल संख्या;
(iii) ईपीएफओ में सभी श्रेणी और पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व और अपिव के लिए आरक्षित **27%** कोटा का कार्यान्वयन;
(iv) अपिव की बैकलॉग रिक्तियों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास;
(v) अपिव कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए कल्याणकारी उपाय;
(vi) आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों में अपिव का प्रतिनिधित्व;
(vii) अपिव कर्मचारियों के लिए अलग संपर्क अधिकारी की नियुक्ति;
(viii) ईपीएफओ में ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ का गठन और उसकी मान्यता।

4. सभापति ने मंत्रालय और ईपीएफओ के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे उन प्रश्नों के लिखित उत्तर समिति को जल्द से जल्द प्रस्तुत करें जिनका उत्तर वे बैठक के दौरान नहीं दे सके अथवा जिनके संबंध में अपेक्षित जानकारी उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थी।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड रखी गई।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की दिनांक 22 मार्च, 2023 को समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

.

समिति की बैठक 1505 बजे से 1625 तक हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री राजेश वर्मा - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री दिलेश्वर कामैत
4. सुश्री एस. जोतिमणि
5. श्री बालक नाथ
6. श्री अजय निषाद
7. श्री चुन्नीलाल साहू
8. श्री चंद्र शेखर साहू

राज्य सभा

9. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
10. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
11. श्री राजेन्द्र गहलोत
12. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
13. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
14. श्री सकलदीप राजभर
15. श्री राम नाथ ठाकुर
16. श्री हरनाथ सिंह यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री प्रदोष पांडा – संयुक्त सचिव
2. श्री महेश्वर – निदेशक
3. श्रीमती नीना जुनेजा – उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद कंप्यूटर प्रबंधन शाखा (हार्डवेयर यूनिट) द्वारा माननीय संसद सदस्यों को नई वेबसाइट के विकास से परिचित कराने और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए डिजिटल संसद परियोजना पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद, समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए विचार किया।

3. समिति ने संक्षिप्त चर्चा के बाद उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया और सभापति को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

4*. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5*. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

**इस रिपोर्ट से संबंधित नहीं है*

तत्पश्चात् समिति की कार्यवाही स्थगित हुई।

कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई।